



न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 98/2026

1. सुरेन्द्र नायक पुत्र दशरथ, उम्र 28 वर्ष, निवासी बिराटिया कलां, पुलिस थाना बर, जिला ब्यावर, राजस्थान।
2. प्रीतम नायक पुत्र अम्बालाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी बिराटिया कलां, पुलिस थाना बर, जिला ब्यावर, राजस्थान।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बर।

..... अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 82/2026, पुलिस थाना – बर,

अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थिति –

1. श्री रामलाल लौहार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र बागड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से उपस्थित।

॥ आदेश ॥

दिनांक – 09.07.2026

- (1) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, जिला ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 04.07.2026 द्वारा खारिज होने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण से संबंधित केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जमानत प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।



- (2) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.05.2026 को परिवारी कालूराम ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना बर में इस आशय की पेश की कि ग्राम रेलमगरा में बेरा सुतरंगिया में स्थित बायोसा महाराज का मंदिर है, जहाँ उसके पिताजी सेवा करते हैं। दिनांक 19.05.2026 को सुबह उसके पिताजी मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे। मंदिर में रखा दान पात्र नहीं मिला। फिर मूर्तियों के पहने चांदी की माला, चांदी के फूल, चांदी के ताबीज वजनी लगभग 01-1.5 किलो व अन्य नकदी मंदिर परिसर में नहीं थे। दिनांक 18.05.2026 व दिनांक 19.05.2026 की मध्य रात्रि को कोई अज्ञात चोर मंदिर में प्रवेश कर उपरोक्त जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए हैं, इत्यादि।
- (3) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थीगण ने चोरी नहीं की है, उन्हें संदेह के आधार पर गलत गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उनका परिवार अपना पालन-पोषण नहीं कर पायेगा। प्रकरण के आगामी अन्वेक्षण व विचारण में काफी लम्बा समय लगेगा। प्रार्थीगण के निवास स्थान पर चल व अचल सम्पत्ति स्थित है, जिससे प्रार्थीगण के भागने व फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को डराने व धमकाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।
- (4) विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का प्रबल विरोध किया।
- (5) उभयपक्ष को सुना गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।
- (6) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेन्द्र नायक व प्रीतम नायक के विरुद्ध पूर्व में लंबित आपराधिक प्रकरण की सूची प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
	- शून्य -			



- (7) प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान पात्र तथा मूर्तियों के पहने चांदी के जेवरात वजनी लगभग 01-1.5 किलो व अन्य नकदी चुराये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप, मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण का दिनांक 28.06.2026 को गिरफ्तार होकर अभिरक्षा में होना दर्शित है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त है।

-:: आदेश ::-

- (8) परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 01. सुरेन्द्र नायक पुत्र दशरथ, उम्र 28 वर्ष 02. प्रीतम नायक पुत्र अम्बालाल, उम्र 27 वर्ष, निवासीगण बिराटिया कलां, पुलिस थाना बर, जिला ब्यावर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रुपये का मुचलका व 25,000-25,000/- रुपये की राशि की दो सुदृढ़ प्रतिभूति, इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि वे आईन्दा प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेंगे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे, बशर्ते उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो।

(मनीषा शर्मा)

अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

- (9) आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)

अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर